सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 282/सो.आ.नि.–3/8(2)/2016
दिनाँक: 30 अगस्त, 2018

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं कासगंज को छोड़कर) उ0प्र0।

विषयः **सोशल आडिट टीमों द्वारा सोशल आडिट किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों के विकासखण्डों में वांछित संख्या में टीमों का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे जनपदों के विकासखण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट करने में आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में जनपदों द्वारा सूचित किया जा रहा है इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2465/38–7–2013–200नरेगा/2009 दिनांक 06 सितम्बर, 2013 उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा प्रत्येक छमाही में एक सोशल आडिट टीम द्वारा अधिकतम 10 ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट करने की सीमा निर्धारित की गई है, इस प्रकार एक सोशल आडिट टीम द्वारा पूरे एक वर्ष में अधिकतम 20 ग्राम पंचायतों का सोाशल आडिट ही किया जा सकता है। जनपदों के विकासखण्डों में गठित सोशल आडिट टीम से 10 से अधिक ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट केवल निम्नांकित स्थितियों में ही कराया जाए:–

1. विकासखण्ड में वांछित संख्या के सापेक्ष कम संख्या में सोशल आडिट टीमों का गठन होना।
2. वांछित संख्या में सोशल आडिट टीमें गठित हैं किन्तु प्रशिक्षण में टीम सदस्यों द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रतिभाग न करने से वांछित संख्यानुसार टीमें उपलब्ध न हो पाना।
3. यदि किसी ग्राम पंचायत में निर्धारित संख्या से कम संख्या में टीम सदस्य प्रतिभाग कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में सोशल आडिट टीम से 10 से अधिक ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कराया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विकासखण्ड में गठित सोशल आडिट टीमों से यथासम्भव समान संख्या में सोशल आडिट का कार्य कराया जाए। जिससे सोशल आडिट टीमों हेतु ग्राम पंचायतों का निर्धारण न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत परिलक्षित हो।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

प्रतिलिपिः– सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

(राजवर्धन)
निदेशक।

rakesh-17-18